संख्या 2937 / II–2010–03(41) / 10

प्रेषक,

एन0के0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 16 दिसम्बर, 2010

विषय : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु आयोजनागत मदों में धनावंटन–जिला योजना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 542 / XXVII(1) / 2010 दिनांक 04.10.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2010–11 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान से स्वीकृत जिला योजना में **संलग्नक–1** के अनुसार **अनुदान संख्या–30** के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 मद में नहर / लघु डाल निर्माण हेतु क्रमशः ₹ 240.71 लाख, ₹ 13.50 लाख एवं **अनुदान संख्या–31** के अन्तर्गत टी0एस0पी0 मद में नहर निर्माण हेतु ₹ 100.00 लाख, **कुल धनराशि ₹ 354.21 लाख (₹ तीन करोड़ चौव्वन लाख इक्कीस हजार मात्र)** की धनराशि व्यय के लिए आपके निवर्तन पर निम्न प्रतिबन्धों के साथ रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
4. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन / फॉट सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं बजट प्राविधान जो भी कम हो, के आधार पर की जाय।
7. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः.....2

8. जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
9. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
11. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2011 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।
12. धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।
13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–30 एवं 31 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत संलग्नक–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक/उपलेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 562/XXVII(2)/2010, दि0– 03 दिसम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(एन0के0 जोशी)
अपर सचिव।

संख्या 2937(1)/ II–2010–03(41)/10, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
4. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
6. मुख्य अभियन्ता एवं विभागध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–2
10. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या 2937 / II–2010–03(41) / 10 दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 का संलग्नक

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नहर निर्माण अनुदान सं0–30 4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें–800 अन्य व्यय–91 अनुसूचित जातियों के लिए नहरों का निर्माण (जिला योजना)–24 वृहत् निर्माण कार्य	नहर निर्माण अनुदान सं0–31 4700 मुख्य सिंचाई–06 निर्माणाधीन नहरें–796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना 91 अनुसूचित जनजातियों के लिए नहरों का निर्माण–24 वृहत् निर्माण कार्य	लिफ्ट निर्माण अनुदान सं0–30 4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–07 उत्तराखण्ड की लघुडाल नहरों का निर्माण / पुनरोद्धार–800 अन्य व्यय–91 अनुसूचित जातियों के लिए लघुडाल नहरों का निर्माण / पुनरोद्धार (जिला योजना)–24 वृहत् निर्माण कार्य	कुल योग
			गढ़वाल मण्डल		
1	देहरादून	52.20	60.83	0.00	113.03
2	चमोली	12.90	7.38	0.00	20.28
3	उत्तरकाशी	15.66	0.00	1.00	16.66
4	टिहरी	18.11	23.69	0.00	41.80
5	पौड़ी	10.74	0.00	0.00	10.74
6	हरिद्वार	4.96	0.00	0.00	4.96
7	रूद्रप्रयाग	53.34	0.00	0.00	53.34
योग गढ़वाल मण्डल		167.91	91.90	1.00	260.81
			कुमॉऊ मण्डल		
8	अल्मोड़ा	7.34	0.00	1.71	9.05
9	बागेश्वर	18.69	0.00	0.50	19.19
10	चम्पावत	5.07	0.00	5.64	10.71
11	नैनीताल	21.01	0.00	3.5	24.51
12	पिथौरागढ़	6.72	1.04	0.00	7.76
13	उधमसिंहनगर	13.97	7.06	1.15	22.18
योग कुमॉऊ मण्डल		72.80	8.10	12.50	93.40
कुल योग		240.71	100.00	13.50	354.21

(₹ तीन करोड़ चौव्वन लाख इक्कीस हजार मात्र)

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।